## Conduct of Elections Rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

## FORM 21C

(See rule 64) (For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

- Election to the Legislative Assembly of State of Rajasthan from 170-Nimbahera Assembly Constituency.
- ❖ In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951. read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961. I delcare that

Shri ANJANA UDAILAL (Name) POST-KESUNDA, TEHSIL-CHHOTI SADRI, DISTRICT PRATAPGARH (RAJ.) (Address) [sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognised / registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:- Chittorgarh

Date:- 11<sup>th</sup> December 2018

(Champalal Jeengar)

ACeNimbahera (1070)

विधानसभा क्षेत्र- निम्बाहेड़ा (170)

## निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम ओर आदेश)

## प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

❖ 170, निम्बाहेड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ, कि—

श्री अंजना उदयलाल (नाम) पोस्ट-केसुन्दा, तहसील-छोटीसादड़ी, जिला-प्रतापगढ़ (राज०) (पता) (जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत पार्टी का नाम) द्वारा खडे किए गए / की गई।) उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो

गए/गई हैं।

स्थानः– चित्तौडगढ़ तारीखः– 11 दिसम्बर 2018

> (चम्पालाल जीनगर) रिट**िरेटर्सिएअधिल्डी)** विधानसमा क्षेत्रचुनीमग्रहेड्रा (170)

विद्यानसभा क्षेत्र- निम्बाहेड़ा (170)